<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ चित्रकूट।</u>

मूलवाद संख्या- 16 / 2015

कुन्ती देवी बनाम पुष्पा देवी आदि

<u>22.05.2019-</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष को अमीन आख्या 22ग2 व उस पर प्रतिवादी की आपत्ति 39ग2 पर सुना गया।

अमीन आयुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित-31.01.2015 के अनुपालन में विवादित स्थल का निरीक्षण दिनांक-10.02.2015 को कर अपनी रिपोर्ट मय नक्शा नजरी दिनांक-11.02.2015 को प्रस्तुत की गई।

प्रतिवादी दवारा अमीन आख्या के विरूध्द आपत्ति कागज संख्या 39ग2 दाखिलकर अभिकथन किया गया है कि विवादित भूमि अ,ब,स,द को वादिया के गाटा संख्या 355 का जुज भाग दिखाया गया है जबकि वह गाटा संख्या 355 का जुज भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी पक्ष का यह भी अभिकथन है कि न्यायालय अमीन द्वारा विवादित भूमि अ,ब,स,द पर नया निर्माण दर्शाया गया है जबकि यह शासन द्वारा स्वीकृत कालोनी है जिसका निर्माण वर्ष 2010 में चुका है। प्रार्थना की गई कि अमीन आख्या को निरस्त कर पुनः रिपोर्ट मंगाई जाये।

वादी पक्ष द्वारा अपनी मौखिक प्रति आपत्ति में अमीन आख्या को मौके के अनुरूप बताया गया है तथा प्रार्थना की गई है कि अमीन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाये।

सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

न्यायालय अमीन द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा विवादित भूमि अ,ब,स,द को गाटा संख्या 355 का जुज भाग बताये जाने के संबंध में आपत्ति की गई है। विवादित भूमि का किसी विशिष्ट गाटा संख्या का जुज भाग होना सर्वे आख्या के माध्यम से ही बताया जा सकता है। प्रतिवादी पक्ष की अन्य आपत्ति यह है कि विवादित स्थल पर हुये निर्माण को न्यायालय अमीन द्वारा तीन माह पुराना बताया गया है जबकि यह निर्माण वर्ष 2010 का है। प्रतिवादी पक्ष के उक्त दोनों आपत्ति न्यायालय अमीन के जिन कथनों के संबंध में है वे न्यायालय अमीन द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों के बताये अनुसार लिखी गई है जो महत्वहीन है। न्यायालय अमीन आख्या के विरूध्द जो आपत्तियाँ की गई है वह तथ्यात्मक प्रकृति की है जिसे सिध्द अथवा असिध्द करने का पूरा अवसर उभयपक्ष को साक्ष्य के स्तर पर मिलेगा। अमीन आख्या 22ग2 साक्ष्य के अधीन पुष्टि किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अमीन आख्या 22ग2 साक्ष्य के अधीन पुष्टि की जाती है पत्रावली वास्ते सुनवाई / निस्तारण 6ग2 दिनांक-31.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)
मऊ- चित्रकूट।